

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)
अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2021/31206/SBD/SONBHADRA/507/CF0

दिनांक: 29-07-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **ST JOSEPH SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **NA, SHAKTINAGAR, SHAKTINAGAR** तहसील - **DUDDHI** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
ST JOSEPH SCHOOL	1	0	3.50 mt.

तथा प्लॉट एरिया **20234.28 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **ST JOSEPH SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **03-08-2024** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **FR ARCHI EMAIL-j19archi@rediffmail.com MOB-7905310239** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate) (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **03-08-2024** से **03-08-2027** तक 3 वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : As per the recommendations made by FSSO, NOC is being approved provided that, following fire safety directives must be adhered to: -

- 1.All exits passage leading to stairs shall be kept clear.
- 2.All fire safety arrangements shall be maintained in good working condition.
- 3.Electrical Audits & maintenance should be carried out regularly.
- 4.Any loss of life or property due to non-functional of fire safety measures shall be at the responsibility of the management.
- 5.Trained staff should be available round the clock.
- 6.Owner/occupier shall submit a declaration bi-annual in "form A-8" of U.P Fire & Emergency Service Rules, 2024

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Shreeram Sahni

1723F5D6DA0E9707670287E5E77E227B283E7A66

03-08-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 03-08-2024
स्थान : SONBHADRA

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.